



# AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

Vidyut Bhawan, Makarwali Road, Pancsheel Nagar, Ajmer

Ph.:- 0145 – 2644519 Fax :- 0145 – 2644518

Website :-www.avvnl.com Email :- Secretaryavvnl@gmail.com



क्र.: अविविनिलि/सचिव (प्रशा.)/मर्ती/प.

प्रे. 4185

दि 05.02.2020


## परिपत्र

यह कि निगम द्वारा परिपत्र क्र. अविविनिलि/सचिव (प्रशा.)/मर्ती/प्रे. 3920 दिनांक 16.01.2020 जारी कर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद (आंशिक), उदयपुर (आंशिक), चित्तौड़गढ़ (आंशिक) जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों से इस आशय के विकल्प पत्र आमंत्रित किये गये थे कि क्या वे भविष्य में उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में ही कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा अनुसूचित क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्यरत निगम कर्मचारियों, जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा उक्त अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हैं, से भी इस बाबत विकल्प पत्र मांगे गये थे। समस्त इच्छुक कर्मचारियों को अपने विकल्प पत्र 31 जनवरी, 2020 अथवा उससे पूर्व नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उनके संबंधित कार्मिक अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

यह कि उपरोक्त संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के दौरान, कार्यशाला आयोजन के समय एवं आयोजित किए गए कैम्पों के दौरान कर्मचारियों तथा विभिन्न श्रम संघों के पदाधिकारियों के द्वारा विकल्प-पत्र प्रस्तुत करने की उक्त निर्धारित दिनांक 31.01.2020 को बढ़ाने का निवेदन किया गया।


अतः समस्त परिस्थितियों के अवलोकन एवं कर्मचारियों तथा श्रम संघ पदाधिकारियों द्वारा किए गए निवेदन पर विचारण पश्चात् श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में विकल्प-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 10.02.2020 तक बढ़ायी जाती है। अतः समस्त इच्छुक कर्मचारी अपने विकल्प पत्र, अंतिम नियत दिनांक 10 फरवरी, 2020 तक अथवा उससे पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से संबंधित वृत्त कार्यालय के कार्मिक अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

  
सचिव (प्रशासन)  
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य/अतिरिक्त/संभागीय मुख्य अभियंता ( ), अविविनिलि, \_\_\_\_\_।
2. मुख्य लेखानियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी ( ), अविविनिलि, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक (कॉर्पोरेट कार्य एवं कंपनी सचिव), अविविनिलि, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अविविनिलि, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियंता( ), अविविनिलि, \_\_\_\_\_ को प्रतिलिपि प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि वे:-  
(अ) अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में उक्त परिपत्र का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना/करवाना सुनिश्चित करें।  
(ब) अपने अधीनस्थ कार्मिक अधिकारी कार्यालय में प्राप्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रेषित मूल विकल्प पत्र सचिव (प्रशासन), अविविनिलि, अजमेर कार्यालय में अंतिम तिथि के 03 दिवस के भीतर विशेष संदेश वाहक के द्वारा आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), अविविनिलि, अजमेर को आदेश निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. उपनिदेशक कार्मिक/ कार्मिक अधिकारी/सहा. कार्मिक अधिकारी ( ), अविविनिलि, \_\_\_\_\_ यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में प्राप्त विकल्प पत्र पूर्ण रूप से सही भरे हुए हैं, एवं सभी वांछित प्रविष्टियों की पूर्ति कर दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), अविविनिलि, अजमेर।
9. उप सचिव/सहायक सचिव ( ), अविविनिलि, अजमेर।
10. निजी सहायक-[प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त/तकनीकी)/सचिव (प्रशासन)], अविविनिलि, अजमेर।

  
(आर. के. अरोड़ा)  
संयुक्त निदेशक कार्मिक